

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 99/2022(GCMS : 2022/145)
डी.सी.बी. बैंक लिमिटेड, पता एस-5, सैकिण्ड फ्लोर, गीजगढ़ टॉवर, हवा सड़क,
सिविल लाईन, जयपुर (राज.) जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री कमलेश कुमार शर्मा

- बनाम
1. श्री भंवरलाल लखारा पुत्र श्री चेतनराम, पता वार्ड नम्बर 06 गांव नेतेवाला श्रीगंगानगर (राज.), 335001
 2. श्रीमती कमला पत्नी भंवरलाल लखारा पता वार्ड नम्बर 06 गांव नेतेवाला श्रीगंगानगर (राज.), 335001



23.08.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री महावीर मिठ्ठा ने एक प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 03.06.2022 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण भंवरलाल लखारा एवं कमला को ऋण सुविधा के रूप में राशि 10.00/- लाख रुपये (अखरे रुपये दस लाख मात्र) का ऋण दिनांक 21.11.2014 को स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी भंवरलाल लखारा द्वारा बंधक रखी अपनी आवासीय/व्यवसायिक अचल सम्पत्ति बुक 12 चक नेतेवाला, वार्ड नम्बर-5, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.), का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण भंवर लाल लखारा एवं कमला को 10.00/-लाख रुपये के ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 21.11.2014 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी भंवर लाल लखारा ने अपनी आवासीय/व्यवसायिक अचल सम्पत्ति बुक 12 चक नेतेवाला, वार्ड नम्बर-5, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.), प्रार्थी बैंक के पास रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र


जिला माजस्ट्रेट
श्री गंगानगर

के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 04.06.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 28.07.2021 को जारी कर दिनांक 05.08.2021 को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये हैं। धारा 13(2) नोटिस अप्रार्थीगण को भिजवाने की पोस्ट ऑफिस रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी भंवरलाल की आवासीय/व्यवसायिक अचल सम्पत्ति बुक 12 चक नेतेवाला, वार्ड नम्बर-5, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.), जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।


जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 28.07.2021 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 28.07.2021 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस पर अप्रार्थीगण दिनांक 05.08.2021 को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अप्रार्थीगण के धारा 13(2) नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई है और न ही शपथ


जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी भंवर लाल के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपत्तियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी डी.सी.बी. बैंक लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी भंवर लाल द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई आवासीय/व्यवसायिक अचल सम्पत्ति बुक 12 चक नेतेवाला, वार्ड नम्बर-5, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.), का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अंशदीप)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर